प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: : माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्र. 519/2004

भूपेंद्र साहू

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक 25-09-2012 "को निर्णय के लिए सूचीबद्ध करें

सही /-

श्री राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: : माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्र. 519/2004

अपीलार्थी: **भूपेंद्र साहू पिता- शत्रुघ्न साहू, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी: पथरागुड़ा, गदलपुर, थाना: जगदलपुर, जिला: बस्तर (छत्तीसगढ़)**

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी: **छत्तीसगढ़ राज्य**

उपस्थित: श्री प्रफुल्ल भारत , अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता ।
श्री संदीप यादव, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से उप-शासकीय अधिवक्ता ।

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

निर्णय

(25 सितंबर, 2012 को उद्घोषित किया गया)

यह अपील सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थित जगदलपुर द्वारा सत्र विचरण क्रमांक 66/2004 में पारित निर्णय दिनांक 26-4-2004 के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी भूपेंद्र साहू को निम्नलिखित रीति से दोषसिद्ध एवं दंडादेश किया गया है, जिसमें सजाएं साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है:

दोषसिद्धि	**दंडादेश**
भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत	1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास
भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत	1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत	7 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये अर्थदंड, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, निम्नानुसार है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) (भारतीय दंड संहिता की धारा 228A के दृष्टिगत में, अभियोक्त्री के नाम का उल्लेख नहीं किया जा रहा है) ने केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की है। दिनांक 30-12-2003 को, सुबह लगभग 9 बजे, वह घरेलू कार्य करने के लिए पुलिस लाइन जगदलपुर जा रही थी। राजेंद्र सिंधी की दुकान के पास उसे अपीलार्थी मिला। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे टोल-टैक्स बैरियर की ओर खींचा। वे एक बस में सवार होकर कोंडागांव चले गए। अपीलार्थी ने उसे वहां अपने मामा, दुर्योधन के घर पर रखा, जहाँ उसने उसके साथ दो बार संभोग किया। अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) ने घटना का वृत्तांत अपीलार्थी की मामी, अहिल्या को बताया। दिनांक 31-12-2003 को, अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) के पिता, प्यारेलाल (अभि.सा.-3) कोंडागांव आए और अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) को वापस घर ले गए। अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) ने प्यारेलाल (अभि.सा.-3) और अपनी माता शांतिबाई (अभि.सा.-2) को घटना की जानकारी दी। अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) ने दिनांक 1-1-2004 को थाना जगदलपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) को प्रदर्श पी-6 के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण के लिए महारानी अस्पताल, जगदलपुर भेजा गया। डॉ. श्रीमती शशि ध्रुव और डॉ. श्रीमती ए. चंद्रा ने संयुक्त रूप से उसका परीक्षण किया। तदुपरांत, डॉ. श्रीमती एम. तिवारी (अभि.सा.-9) ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-21) दी। प्रदर्श पी-21 में, उन्होंने राय व्यक्त की कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की योनिच्छद अक्षुण्ण थी और पेरिनियम तथा वल्वा पर चोट का कोई निशान नहीं था। उन्होंने आगे

यह राय दी कि बलपूर्वक संभोग के संबंध में कोई राय नहीं दी जा सकती। अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) को एक्स-रे परीक्षण के लिए महारानी अस्पताल, जगदलपुर भेजा गया। डॉ. गोविंद सिंह (अभि.सा.-7) ने उसका एक्स-रे लिया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-20) दी, जिसमें उन्होंने राय दी कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की आयु 12 से 15 वर्ष के बीच थी। अपीलार्थी को भी प्रदर्श पी-7 के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण के लिए महारानी अस्पताल, जगदलपुर भेजा गया। डॉ. श्रीमती जे. गुप्ता (अभि.सा.-10) ने उसका परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7ए) दी, जिसमें उन्होंने पाया कि अपीलार्थी संभोग करने में सक्षम था।

आगे की अन्वेषण में, घटना-स्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया। अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) से प्रदर्श पी-3 के माध्यम से स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जब्त किया गया। अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) का पेटीकोट भी प्रदर्श पी-4 के माध्यम से उससे जब्त किया गया। प्रदर्श पी-8 के माध्यम से अपीलार्थी का अंतःवस्त्र जब्त किया गया। प्रदर्श पी-10 के माध्यम से अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) का योनि स्लाइड और जघन बाल जब्त किए गए। प्रदर्श पी-9 के माध्यम से अपीलार्थी के जघन बाल भी जब्त किए गए। जब्त की गई वस्तुओं को प्रदर्श पी-17 के माध्यम से परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जगदलपुर के न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थित जगदलपुर के न्यायालय में उपार्पित किया, जिन्होंने विचारण का संचालन किया और अपीलार्थी को ऊपर उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडादेश किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत ने तर्क दिया कि घटना की तिथि पर, अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की आयु से संबंधित अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को उसके द्वारा विधिवत सिद्ध नहीं किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष दोषपूर्ण है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि चिकित्सीय साक्ष्य को देखते हुए कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की योनिच्छद अक्षुण्ण थी, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) के साथ कोई संभोग नहीं किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) का साक्ष्य विश्वास जगाने वाला नहीं है। उनका अगला तर्क यह है कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) अपनी स्वयं की इच्छा से अपीलार्थी के साथ कोंडागांव गई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश के निर्णय और निष्कर्ष अपास्त किए जाने योग्य हैं

और अपीलार्थी दोषमुक्ति का हकदार है। उन्होंने अलामेलु और अन्य विरुद्ध राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, (2011) 2 SCC 385 पर भरोसा जताया।

4. राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता, श्री संदीप यादव ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारो के परस्पर विरोधी तर्कों को विस्तार से सुनने के पश्चात, मैंने सत्र परीक्षण क्रमांक 66/2004 के अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या घटना की तिथि पर अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की आयु 16 वर्ष से कम थी या नहीं?

7. किसी पीड़ित बालिका की आयु सिद्ध करने के लिए उसके माता-पिता का साक्ष्य तात्विक होता है। वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) के अभिसाक्ष्य के समय, उसके अभिसाक्ष्य पत्रक में उसकी आयु 14 वर्ष अंकित की गई थी। अपने अभिसाक्ष्य के कंडिका 9 में, उसने विशिष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया कि उसने केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की थी। प्यारेलाल (अभि.सा.-3), जो अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) के पिता हैं, ने साक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की आयु 13 वर्ष थी और उसने माता मंदिर स्कूल, पथरागुड़ा में केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की थी। शांतिबाई (अभि.सा.-2), जो अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की माता हैं, ने विशिष्ट रूप से साक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) माता मंदिर स्कूल, पथरागुड़ा में पढ़ रही थी और उसकी आयु 14 वर्ष थी। अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि उसके पिता प्यारेलाल (अभि.सा.-3) उसे प्रवेश के लिए स्कूल ले गए थे। प्यारेलाल (अभि.सा.-3) ने साक्ष्य दिया कि उसने अपने बच्चों की जन्म तिथियां एक कागज के टुकड़े पर लिखी थीं और उसे अपने घर पर रखा था। उसने अपने बच्चों की जन्म तिथियों की सूचना कोटवार को भी दी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. डॉ. श्रीमती एम. तिवारी (अभि.सा.-9) ने साक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) का परीक्षण दिनांक 5-1-2004 को किया गया था और उस तिथि पर उसकी आयु लगभग 13 वर्ष थी। डॉ. गोविंद सिंह (अभि.सा.-7) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की दाहिनी कलाई, दाहिनी कोहनी, दाहिने कंधे और दाहिने कूल्हे का एक्स-रे लिया था और पाया कि उसकी आयु 12 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम थी।

9. ए.एस.आई. के.डी. सिंह (अभि.सा.-6) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) का स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-3) जब्त किया था, जो माता मंदिर प्राथमिक पाठशाला, पथरागुड़ा द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक 19-1-2004 को उन्होंने

प्रदर्श पी-13 के माध्यम से माता मंदिर प्राथमिक पाठशाला, पथरागुड़ा की दाखिल-खारिज पंजी जब्त की थी।

10. श्रीमती हीरामणि सलाम (अभि.सा.-8) ने साक्ष्य दिया कि वह वर्ष 1995 से माता मंदिर प्राथमिक पाठशाला, पथरागुड़ा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थीं। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि वह अपने साथ माता मंदिर प्राथमिक पाठशाला, पथरागुड़ा, जगदलपुर का मूल दाखिल-खारिज रजिस्टर लेकर आई थीं। उक्त रजिस्टर वर्ष 1981 से संधारित किया जा रहा था। रजिस्टर के क्रमांक 575 पर, अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) के स्कूल प्रवेश प्रविष्टि में उसकी जन्म तिथि 1-6-1990 अंकित है। वह स्कूल में अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) के प्रवेश के समय प्यारेलाल (अभि.सा.-3) द्वारा प्रस्तुत मूल घोषणा-प्रपत्र भी लेकर आई थीं। घोषणा-प्रपत्र में भी अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की जन्म तिथि 1-6-1990 अंकित थी। मामले में दाखिल-खारिज पंजी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई थी, जो प्रदर्श पी-21ए है। श्रीमती हीरामणि सलाम (अभि.सा.-8) के साक्ष्य और प्रदर्श पी-21ए को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री (अभि.सा.-1) की जन्म तिथि 1-6-1990 है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. अलामेलु और अन्य (पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:

> "**40.** स्थानांतरण प्रमाण पत्र एक सरकारी स्कूल द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है, इसलिए, यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य होगा। हालांकि, उस सामग्री के अभाव में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी, ऐसे दस्तावेज की ग्राह्यता का अभियोक्त्री की आयु सिद्ध करने के लिए अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि - स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का तब तक कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति, जिसने प्रविष्टि की थी या जिसने जन्म तिथि दी थी, परीक्षित न किया जाए। वर्तमान मामले में, यद्यपि अभि.सा.-10 ने स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टि के आधार पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-15) जारी करना स्वीकार किया, लेकिन स्कूल रजिस्टर में वह प्रविष्टि, जिसके द्वारा अभियोक्त्री को कक्षा 6 में प्रवेश दिया गया था, स्वयं सिद्ध नहीं हुई थी।"

12. छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध लेखराम, (2006) 5 SCC 736 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"स्कूल में संधारित रजिस्टर साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के निबन्धनों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की जन्म तिथि सिद्ध करने के लिए साक्ष्य में स्वीकार्य है। ऐसी जन्म तिथियां प्राधिकारियों द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में स्कूल रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। यह सत्य हो सकता है कि स्कूल रजिस्टर में की गई प्रविष्टि निश्चायक नहीं है, लेकिन इसका साक्ष्यिक मूल्य है। स्कूल रजिस्टर के ऐसे साक्ष्यात्मक मूल्य की पुष्टि इस मामले में मौखिक साक्ष्य द्वारा होती है क्योंकि इसे अभियोक्त्री की माता के कथन के आधार पर दर्ज किया गया था।"

13. हरपाल सिंह और अन्य विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य, A.I.R. 1981 S.C. 361 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है कि प्रविष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई थी, इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है और अभियोजन के लिए इसके लेखक की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। हम साक्ष्य को जिस भी दृष्टिकोण से देखें।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. शेकरा विरुद्ध कर्नाटक राज्य, (2009) 14 SCC 76 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"6. यह ध्यान देने योग्य है कि अभि.सा. 1 ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-9) प्रस्तुत किया था और कहा है कि यह पीड़िता से संबंधित है और उसका नाम प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया है। उनके प्रति-परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे उनके इस साक्ष्य को खारिज किया जा सके कि प्रदर्श पी-9 पीड़िता, अर्थात् अभि.सा.1 की पुत्री से संबंधित है। अभि.सा.12 ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किया था और अपने साक्ष्य में यह भी बताया कि वह संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें याद था कि उन्होंने उसे तब देखा था जब वह अपने बच्चों के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने आई थी और उन्होंने उसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किया था और यह कि प्रदर्श पी 9, स्थानांतरण प्रमाण पत्र उनके द्वारा जारी किया गया था। इस पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदर्श पी-9 प्रवेश रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के आधार पर जारी किया गया था और प्रदर्श पी-10(ए) वह सुसंगत प्रविष्टि है जिसके आधार पर प्रदर्श पी-9 जारी किया गया था।"

15. अर्जुन सिंह विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य, 2009 CRI.L.J 1332 (S.C.) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया है:

> "**7**. छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध लेखराम [2006 (5) SCC 736] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि स्कूल में संधारित रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 35 के निबंधनों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की जन्म तिथि सिद्ध करने के लिए स्वीकार्य साक्ष्य है। यह सत्य हो सकता है कि स्कूल रजिस्टर की प्रविष्टि निश्चायक नहीं है, किंतु इसका साक्ष्यिक मूल्य है।"

16. वर्तमान मामले में, स्कूल के प्रधानाध्यापक या शिक्षक, जिन्होंने दाखिल-खारिज पंजी में प्रविष्टि की थी, का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था, किंतु श्रीमती हीरामणि सलाम (अभि.सा.-8) ने विशेष रूप से यह साक्ष्य दिया कि पीड़िता (अभि.सा.-1) की जन्म तिथि दाखिल-खारिज पंजी में प्यारेलाल (अभि.सा.-3) द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर दर्ज की गई थी और प्यारेलाल (अभि.सा.-3) ने भी यह साक्ष्य दिया कि पीड़िता की आयु 13 वर्ष के आसपास थी। प्यारेलाल (अभि.सा.-3) ने साक्ष्य दिया कि उसने अपने बच्चों की जन्म तिथियां लिखी थीं। उसने अपने बच्चों की जन्म तिथियों की सूचना कोटवार को भी दी थी। प्रदर्श पी-21ए दाखिल-खारिज पंजी की एक प्रति है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 1-6-1990 उल्लिखित है। डॉ. गोविंद सिंह (अभि.सा.-7) ने साक्ष्य दिया कि एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने पाया कि पीड़िता की आयु 12 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम थी। इसलिए, चिकित्सीय साक्ष्य से भी यह स्थापित होता है कि पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम थी। दाखिल-खारिज पंजी (प्रदर्श पी-21ए) के अनुसार, पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 1-6-1990 है। घटना की तिथि दिनांक 30-12-2003 थी। इससे यह प्रकट होता है कि घटना की तिथि पर पीड़िता (अभि.सा.-1) की आयु 16 वर्ष से कम थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध बनता है?

18.पीड़िता (अभि.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि उसने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की है। अपने बयान/साक्ष्य की तिथि पर उसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी। वह न्यायालय में उपस्थित अपीलार्थी को जानती थी। अपीलार्थी उसका सगा जीजा था। उसने माता मंदिर स्कूल, जगदलपुर में पढ़ाई की थी। घटना की तिथि पर, वह अपने काम से लौट रही थी। उसी समय, अपीलार्थी उसे मेहतर पारा के पास मिला और उसे जबरदस्ती ले गया। उसने उसका मुँह दबा दिया था, इसलिए वह चिल्ला

नहीं सकी। वह उसे कोंडागांव स्थित अपने मामा और मामी के घर ले गया। वह उनके नाम नहीं जानती थी। उसने कोंडागांव में अपने मामा और मामी के घर पर उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसे बलात्कार करने से रोका, किंतु वह नहीं रुका और उसके साथ बलात्कार किया। उसने कोंडागांव में उसके साथ दो बार बलात्कार किया।

19. पीड़िता (अभि.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। डॉ. श्रीमती एम. तिवारी (अभि.सा.-9) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने डॉ. शशि ध्रुव (ठाकुर) और डॉ. श्रीमती ए. चंद्रा के साथ पीड़िता (अभि.सा.-1) का परीक्षण किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-21) दी। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि पीड़िता की योनिच्छद अक्षुण्ण थी, मूलाधार (पेरिनियम) और भग (वल्वा) पर चोट का कोई निशान नहीं पाया गया था। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि बलपूर्वक संभोग के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती थी।

20. अमन कुमार और अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2004) 4 एस.सी.सी. 379 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकित किया:

> "7. प्रवेश (पेनिट्रेशन) बलात्कार के अपराध के लिए अनिवार्य शर्त है। प्रवेश गठित करने के लिए, यह सिद्ध करने के लिए स्पष्ट और ठोस साक्ष्य होना चाहिए कि अभियुक्त के पुरुष जननांग का कुछ हिस्सा स्त्री के जननांग के लेबिया के भीतर था, चाहे वह कितना ही कम क्यों न हो (देखें जोसेफ लाइन्स, IC&K 893)। चिकित्सा जगत में यह सर्वविदित है कि संभोग के चौबीस घंटे बीत जाने के बाद स्मेग्मा का परीक्षण अपना सारा महत्व खो देता है। [देखें एस.पी. कोहली (डॉ.) विरुद्ध पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, (1979) 1 SCC. 212]। बलात्कार के मामलों में, यदि पुरुष अंग का अगला भाग स्मेग्मा से ढका हुआ है, तो यह हाल ही में हुए पूर्ण प्रवेश की संभावना को नकारता है। यदि अभियुक्त का खतना नहीं हुआ है, तो कोरोना ग्लैंड के चारों ओर स्मेग्मा की उपस्थिति प्रवेश के विरुद्ध प्रमाण है, क्योंकि यह कृत्य के दौरान रगड़कर साफ हो जाता है। यदि चौबीस घंटे के भीतर स्नान न किया जाए तो स्मेग्मा जमा हो जाता है। बलात्कार का अपराध गठित करने के लिए योनिच्छद का फटना किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। भग में थोड़ा सा प्रवेश भी बलात्कार का अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है और योनिच्छद का फटना आवश्यक नहीं है। हिंसा के साथ या बिना हिंसा के भग में प्रवेश उतना ही बलात्कार है जितना कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

योनि मार्ग में प्रवेश। कानून केवल प्रवेश के साक्ष्य की अपेक्षा करता है, और यह योनिच्छद के अक्षुण्ण रहते हुए भी हो सकता है। प्रवेश के साथ ही 'अपराधिक कृत्य' पूर्ण हो जाता है। यह सुस्थापित है कि पीड़िता को सह-अपराधी नहीं माना जा सकता है, और इसलिए, उसकी गवाही को बलात्कार के अपराध में सह-अपराधी की गवाही के बराबर नहीं माना जा सकता। जननांगों के परीक्षण में, योनिच्छद की स्थिति सबसे विश्वसनीय सुराग प्रदान करती है। योनिच्छद का परीक्षण करते समय, निष्कर्षों को कोई महत्व देने से पहले कुछ शारीरिक विशेषताओं को याद रखा जाना चाहिए। योनिच्छद का आकार और बनावट परिवर्तनशील होती है। यह भिन्नता कभी-कभी बिना चोट के प्रवेश की अनुमति देती है। यह मुख के विशिष्ट आकार या बढ़ी हुई लोच के कारण संभव है। दूसरी ओर, कभी-कभी योनिच्छद अधिक सख्त, कम लचीला हो सकता है और जल्दी खिंच और फट सकता है। इस प्रकार, अपेक्षाकृत कम बलपूर्वक किए गए प्रवेश से वे चोटें नहीं आ सकतीं जो सामान्यतः बलपूर्वक किए गए प्रयास से संभव होती हैं। योनिच्छद के संबंध में वह शारीरिक विशेषता जो विचार योग्य है, उसकी शारीरिक स्थिति है। सकारात्मक महत्व में योनिच्छद के बाद, लेकिन आवृत्ति में उससे भी अधिक, लेबिया मेजोरा पर चोटें हैं। ये, अर्थात लेबिया मेजोरा, पुरुष अंग के संपर्क में आने वाले पहले अंग हैं। वे अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए वेग और बल तथा पीड़िता द्वारा किए गए प्रतिरोध के आधार पर कुंद बलपूर्वक प्रहारों के अधीन होते हैं। इसके अलावा, शरीर पर अन्यत्र चोटों के निशानों के लिए महिला का परीक्षण साक्ष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। बलात्कार का अपराध गठित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य स्खलन और योनिच्छद के फटने के साथ लिंग का पूर्ण प्रवेश हो। वीर्य स्खलन के साथ या बिना, भग या जननांग के लेबिया मेजोरा के भीतर आंशिक प्रवेश कानून में परिभाषित बलात्कार के अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध में प्रवेश की गहराई महत्वहीन है।"

21. वर्तमान मामले में, पीड़िता (अभि.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उसके साथ दो बार संभोग किया। यदि अपीलार्थी ने पीड़िता (अभि.सा.-1) के साथ दो बार संभोग किया होता, तो भग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या जननांग के लेबिया मेजोरा पर कुछ कोमलता या चोट आई होती, किंतु चिकित्सीय साक्ष्य यह नहीं दर्शाते कि पीड़िता (अभि.सा.-1) के साथ कोई संभोग किया गया था। डॉ. श्रीमती एम. तिवारी (अभि.सा.-9) ने विशेष रूप से साक्ष्य दिया कि योनिच्छद अक्षुण्ण थी और संभोग का कोई संकेत मौजूद नहीं था। इसलिए, ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बलात्कार किया गया था, किंतु बलात्कार करने का प्रयास पीड़िता (अभि.सा.-1) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से स्थापित है। अतः, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता; इसके बजाय, उसका अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के तहत दंडनीय है।

22. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अधीन अपराधों का संबंध है, पीड़िता (अभि.सा.-1) ने साक्ष्य दिया कि घटना की तिथि पर, वह अपने काम से लौट रही थी। उसी समय, अपीलार्थी उसे मेहतर पारा के पास मिला और उसे जबरदस्ती ले गया। उसने उसका मुँह दबा दिया था, इसलिए वह चिल्ला नहीं सकी। वह उसे कोंडागांव स्थित अपने मामा और मामी के घर ले गया। वह उनके नाम नहीं जानती थी। उसने कोंडागांव में अपने मामा और मामी के घर पर उसके साथ बलात्कार किया। प्रतिपरीक्षण में, उसने आगे साक्ष्य दिया कि घटना सुबह लगभग 9 बजे हुई थी। अपीलार्थी उसे चौक के पास मिला था। वहाँ मेहतर का घर स्थित था। यह कहना सत्य है कि जिस स्थान पर अपीलार्थी उसे मिला था, वहाँ से वे टोल-टैक्स बैरियर, जगदलपुर गए थे। जैसे ही वे टोल-टैक्स बैरियर पहुँचे, वहाँ एक बस आई। वे बस में बैठे और कोंडागांव चले गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. पीड़िता (अभि.सा.-1) के साक्ष्य को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी स्वयं की इच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी। यह भी स्थापित है कि घटना की तिथि पर पीड़िता (अभि.सा.-1) की आयु 16 वर्ष से कम थी। इसलिए, पीड़िता (अभि.सा.-1) की सहमति का कोई सार नहीं था और वह महत्वहीन थी। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत सही ढंग से दोषसिद्ध किया है।

24. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी लगभग 1 वर्ष और 8 महीने जेल में रहा। पीड़िता (अभि.सा.-1) एक सहमति देने वाला पक्षकार थी। अपराध दिनांक 30-12-2003 को घटित हुआ था। मामला लगभग 8½ वर्षों तक लंबित रहा। अपीलार्थी को वापस जेल भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा और न्याय के हित में यह उचित होगा यदि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध के लिए उसके द्वारा पूर्व में भोगी गई अवधि के लिए दंडादेश किया जाए।

25. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी दिनांक 2-1-2004 से 7-9-2005 तक, अर्थात लगभग 1 वर्ष 8 महीने और 5 दिन जेल में रहा। अपराध 30-12-2003 को कारित किया गया था। मामला लगभग 8½ वर्षों तक लंबित रहा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा यह विचार है कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी यदि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध के लिए उसके द्वारा पूर्व में भोगी गई अवधि के लिए दंडादेश किया जाए।

26. परिणामस्वरूप, अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अधीन अपीलार्थी को प्रदान की गई दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की जाती है। धारा 376 के अधीन उसे प्रदान की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। उसके स्थान पर, उसे धारा 376/511 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और उसके द्वारा पूर्व में भोगी गई अवधि का दंडादेश किया जाता है। वर्तमान में, वह जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
श्री राधे श्याम शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – – ADV. ANANDITA PRATHNA BEHRA